

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

सूत्रांक नं०- 01501226005

ईमेल- sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2022/111
तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

दिनांक :- 07.03.2022

विषय:- प्रकरण संख्या 04/2018 अनवान जलन्धर सिंह आदि बनाम
गुरदेव सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित
निर्णय दिनांक 07.03.2022 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित
निर्णय दिनांक 07.03.2022 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर
चक 22 ओ बी तहसील श्रीकरणपुर के मुर्ब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1 में 0.008
हैक्टेयर पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण व किला नम्बर 10, 11, 20, 21 प्रत्येक के
पश्चिमी दिशा में उत्तर से दक्षिण 1-1 विस्वा यानि 0.013-0.013 हैक्टेयर, कुल 0.
060 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस रास्ता की
0.060 हैक्टेयर भूमि के बदले अप्रार्थी गुरदेव सिंह पुत्र कर्म सिंह को 0.060 हैक्टेयर
भूमि देय होगी। जो प्रार्थीगण अपनी भूमि मुर्ब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 1 व 2 में
से अप्रार्थी को देय होगी। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि संलग्न
नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद
कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.स्व)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर